मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र/कृषि अनु./3/1/14/ 226 भोपाल, दिनांक 10 /02/2022

प्रति

संयुक्त संचालक/उपसंचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आचंलिक कार्यालय भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर एवं रीवा ।

विषयः- दिनांक 12.02.2022 को बैतूल जिले में मान. मुख्यमंत्री के द्वारा बैतूल जिले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 का फसल बीमा राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से दावा राशि का वितरण कार्यक्रम के लिए राशि भुगतान करने के संबंध में ।

संदर्भः- प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल का पत्र क्रमांक-124 दिनांक 08.02.2022 एवं संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का पत्र क्रमांक-3822 दिनांक 08.02.2022

00000

कृपया उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। दिनांक 12.02.2022 को बैतूल जिले में मान. मुख्यमंत्री के द्वारा बैतूल जिले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 का फसल बीमा राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से दावा राशि का वितरण कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है ।

शासन के निर्देशानुसार 51 मंडियों के सचिवों के खाते में एक-एक लाख रूपये उपरोक्त कार्यक्रम के लिए अंतरित किये जा रहे है, संबंधित जिला मुख्यालय के मंडी सचिवों को कार्यक्रम की आवश्यक व्यवस्थाएं बनाये जाने के लिए निर्देशित किया गया है।

उक्त कार्यक्रम के आयोजन में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों के परिवहन एवं भोजन की व्यवस्था पर होने वाली व्यय राशि रूपये 65.00 लाख बैतूल जिले के कार्यक्रम के लिए एवं 51 जिलों की मंडियों के लिए (प्रत्येक जिले के लिएं एक लाख) राशि रूपये 51.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रू.116.00 लाख संबंधित मंडी समितियों को प्रस्तावित राशि अंतरित किया जाना है, जिसके लिए आपके संभाग, जिले मुख्यालय की मंडियों की बैंक खाते जैसे बैंक का नाम, खाता क्रमांक, आईएफसी कोड आदि की जानकारी एक्सल शीट में आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर संचालक (अधो.)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

क्र/कृषि अनु./3/1/14/ 227 भोपाल, दिनांक 10 /02/2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव, कृषि उपज मंडी समिति............................जिला ....
(समस्त) की ओर भेजकर लेख है कि, सदंर्भित पत्रों से दिए गए निर्देशानुसार उक्त कार्यक्रम की आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए मंडी बोर्ड मुख्यालय द्वारा प्रदाय की जाने वाली राशि के लिए बैंक खाते की जैसे बैंक का नाम, खाता क्रमांक, आईएफसी कोड आदि की जानकारी एक्सल शीट पर तैयार कराकर संबंधित संभागीय कार्यालय में आज ही उपलब्ध करावें, ताकि वरिष्ठालय से सीधे राशि खाते में अंतरित की जा सकेगी ।

अपर संचालक (अधो.)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.